



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124695

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2946 वर्ष 2026

सुनील कुमार चौहान और अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : पंकज शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : धीरेन्द्र श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता., राग कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा और राज्य के अधिवक्ता श्री राग कुमार श्रीवास्तव की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

2. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई है। इसमें मिर्जापुर के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा जमानत अर्जी संख्या 100/2026 में 04.02.2026 को पारित जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ताओं को उक्त मामले में जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 357/2025 से संबंधित है, जो बी.एन.एस. की धारा 103(1), 238(ए) (जो आई.पी.सी. की धारा 302 और अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



201 के समान हैं) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत विंध्याचल पुलिस स्टेशन, जिला मिर्जापुर में दर्ज किया गया था।

3. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ताओं को इस मामले में सिर्फ शक और गाँव की आपसी दुश्मनी के आधार पर झूठा फँसाया गया है। तर्क यह है कि मृतक 15.09.2025 को लापता हो गया था और 17.09.2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जबकि एफ.आई.आर. 08.10.2025 को एक कुएँ से शव मिलने के बाद 09.10.2025 को दर्ज की गई। लगभग 23 दिनों की इस पूरी अवधि के दौरान, न तो सूचना देने वाले और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने अपीलकर्ताओं पर कोई आरोप लगाया। आगे यह भी कहा गया है कि एफ.आई.आर. दर्ज होने से पहले, सूचना देने वाले के बेटे ने कंकाल मिलने के बारे में 08.10.2025 को लिखित सूचना (तेहरीर) दी थी, लेकिन उसमें भी अपीलकर्ताओं पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि जहाँ एफ.आई.आर. में कहा गया है कि मृतक विंध्याचल के बड़ा बगीचा से लापता हुआ था, वहीं पहले दी गई तेहरीर में पटेहरा बंधवा का ज़िक्र है जहाँ से मृतक गायब हुआ था, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

4. अधिवक्ता का आगे कहना है कि पूरा मामला हालात से जुड़े सबूतों और 'आखिरी बार साथ देखे जाने' की थ्योरी पर आधारित है। इस थ्योरी को जांच के दौरान काफी देर से पेश किया गया था— घटना के कथित तौर पर होने के लगभग दो महीने बाद दर्ज बयानों के ज़रिए। यह भी कहा गया है कि कथित तौर पर बरामद की गई चीज़ें पूरी तरह से बेअसर हैं और अपील करने वालों के पास से कोई भी ऐसा सामान नहीं मिला है जो उन्हें दोषी साबित करे। पुलिस के सामने दिए गए

तथाकथित कबूलनामे सबूत के तौर पर मान्य नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की कहानी की पुष्टि मेडिकल सबूतों से नहीं होती है; एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान लागू करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है; अपील करने वालों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है; वे 11.10.2025 से जेल में हैं; और उनके भागने या अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इन्हीं आधारों पर अपील करने वालों को ज़मानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता और एजीए ने अपील और ज़मानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। उनका कहना है कि गवाह अरविंद लाल वर्मा ने अपीलकर्ताओं को 15.09.2025 को मृतक के साथ आखिरी बार देखा था और कुछ चीज़ें भी बरामद की गई हैं, जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती हैं।

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह पता चलता है कि कथित हत्या की घटना को किसी ने अपनी आँखों से नहीं देखा। यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। जहाँ तक गवाह अरविंद लाल वर्मा के बयान की बात है, तो वह 08.11.2025 को दर्ज किया गया था, यानी उस तारीख से लगभग दो महीने की देरी से जब मृतक कथित तौर पर लापता हुआ था। उक्त गवाह ने घटना के तुरंत बाद किसी भी व्यक्ति को कथित तथ्यों के बारे में नहीं बताया। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने से पहले, शिकायतकर्ता के बेटे झूमनाथ ने 08.10.2025 को विंध्याचल के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक लिखित सूचना (तेहरीर) दी थी, जिसमें उसने केवल यह बताया था कि उसके पिता ने 17.09.2025 को अपने भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 08.10.2025 को एक कुएं से शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान मृतक के रूप में की गई थी। महत्वपूर्ण अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बात यह है कि उक्त तेहरीर में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। अगले दिन, यानी 09.10.2025 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई, जिसमें अपीलकर्ताओं का नाम लिया गया और उन पर शक के आधार पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। रिकॉर्ड में उस जगह के बारे में भी विसंगति दिखाई देती है जहां से मृतक कथित तौर पर लापता हुआ था, क्योंकि एफ.आई.आर. में बड़ा बगीचा, विंध्याचल का उल्लेख है, जबकि पहले की तेहरीर में पटेहरा बंधवा का जिक्र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि केवल सड़े-गले शव की जांच की गई थी और मृत्यु-पूर्व कोई चोट नहीं पाई गई थी। इस चरण पर, कथित बरामदगी और इकबालिया बयानों की साक्ष्य-संबंधी अहमियत का मामला विचारण का विषय है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की प्रकृति, इस बात को कि मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है, किसी प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह के बयान की कमी, 'लास्ट-सीन थ्योरी' (आखिरी बार साथ देखे जाने की थ्योरी) को पेश करने में हुई देरी, और 11.10.2025 से अपीलकर्ताओं द्वारा काटी गई जेल की सज़ा को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि अपीलकर्ताओं ने ज़मानत पाने के लिए पर्याप्त आधार पेश किए हैं।

8. अपीलकर्ताओं, यानी **सुनील कुमार चौहान और नीरज चौहान** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रत्येक के लिए ₹50,000/- का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें जमा करने पर, ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए। यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, डराएंगे-धमकाएंगे या परेशान नहीं करेंगे।

(ii) अपीलकर्ता न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे, तय की गई हर तारीख पर न्यायालय में पेश होंगे और विचारण पूरा होने में कोई देरी नहीं करेंगे।

(iii) अपील करने वालों को विचारण न्यायालय में एक अंडरटेकिंग (लिखित वादा) देनी होगी कि जब अभियोजन पक्ष के गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वे सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाले किसी भी तरह से ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वे विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 (जो सीआर.पी.सी. की धारा 82 के बराबर है) के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और वे तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) अपील करने वालों को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा शुरू होने पर, (b) आरोप तय होने पर, और (c) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 (जो सीआर.पी.सी. की धारा 313 के बराबर है) के तहत उनका बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर है या बिना किसी ठोस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण के हैं, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) अपील करने वालों की रिहाई के बाद विचारण न्यायालय मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा।

9. संबंधित न्यायालय ज़मानत देने वालों की पहचान, स्थिति और रिहायशी पते के सबूत की जांच करेगी। ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने और अपील करने वालों को हिरासत में लेने का अधिकार होगा।

10. इसके अनुसार, अपील सफल होती है और उसे मंज़ूर किया जाता है।

11. मिर्ज़ापुर के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 04.02.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

2 जून, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।